संख्या- 17/2018/851/ सत्रह- म-2018-6-9(127)/17

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
मत्स्य निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ : दिनांक 15 जून, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना में अवशेष धनराशि रू0 4,09,750/- के सापेक्ष जनपद सहारनपुर में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्र रामपुर मनिहारन हेतु रू0 65000/- (रू0 पैंसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-322/नि0शा0/2018-19 दिनांक 05 जून,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों की सुदृढीकरण योजना के आय- व्यय में प्राविधानित धनराशि में से अवशेष धनराशि रू0 409750 (चार लाख नौ हजार सात सौ पचास मात्र) के सापेक्ष जनपद सहारनपुर में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्र रामपुर मनिहारन के लिए रू0 65000/-(रू0 पैंसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 05 जून,2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन,101-अन्तर्देशीय मछली पालन,04-मत्स्य विकास कार्यक्रम,0408- विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत अवशेष धनराशि रू0 409750/- (चार लाख नौ हजार सात सौ पचास मात्र) के सापेक्ष रू0 65000/-(रू0 पैंसठ हजार मात्र) की धनराशि को श्री राज्यपाल महोदय जनपद सहारनपुर में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्र रामपुरमनिहारन के लिए

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

निम्नलिखित तालिकानुसार एवं शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

क्र0 सं0	जनपद	प्रक्षेत्र का नाम	विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों से स्पान से फ्राई उत्पादन हेतु (धनराशि रू0 में)						
			लक्ष्य (लाख में)	02- मजदूरी	09- विद्युत देय	39- औषधि तथा रसायन	42- अन्य व्यय	43- सामग्री एवं सम्पूर्ति	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सहारनपुर	राममनिहारन	10.00	2500	4000	2500	18100	37900	65000

(रू0 पैंसठ हजार मात्र)

1- उपरोक्त स्वीकृति धनराशि का उपभोग पूर्व निर्धारित नियमों/शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा।

2- उ0प्र0 बजट मैनुअल के आठवें अध्याय के अनुलग्नक- ए के अनुसार अपेक्षित विवरण अवश्य रखा जाय/उपलब्ध कराया जाय।

3- धनराशि का आवंटन एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी0एल0ए0 /डाकघर/ बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

5- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित वितरण धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियत्रंण के सम्बंध में शासनादेश संख्या-बी0-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ -साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्श्यिल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रश्नगत योजना हेतु निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाय।

8- जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धन का आहरण विद्मान व्यवस्था के अनुसार तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय और एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

9- स्वीकृतियॉ जारी करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नही हुआ/हो रहा है।

3 - उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में आय- व्ययक अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन-101- अन्तर्देशीय मछली पालन- 04- मत्स्य विकास कार्यक्रम- 0408-विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण-02-मजदूरी,09-विद्युत देय, 39- औषधि तथा रसायन, 42-अन्य व्यय, 43- सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने में कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 में दिये गये उक्त निर्देशों /शर्तो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव ।

संख्या - 17 /2018/851(1)/सत्रह-म-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक (मत्स्य) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
5- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
6- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त् (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com